रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, बुहस्पतिवार, मई 18, 2017/वैशाख 28, 1939
No. 12] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 18, 2017/VAISAKHA 28, 1939

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई , 2017

का.नि.आ. 15(अ).—छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 346 की उपधारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छावनी (माध्यस्थम समिति प्रक्रिया विनियमन) नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, माध्यस्थम समिति प्रक्रिया विनियमन संबंधी कतिपय नियमों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार बनाना चाहती है, का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-4 में उक्त अधिनियम की धारा 346 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार का.नि.आ. 13(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक सभी प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से आपेक्ष और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप नियम के संबंध में जनता से प्राप्त आपेक्षों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 346 की उपधारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और छावनी (माध्यस्थम समिति प्रक्रिया विनियमन) नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, छावनी माध्यस्थम समिति प्रक्रिया विनियमन संबंधी निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी (माध्यस्थम समिति प्रक्रिया विनियमन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में कोई अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) "माध्यस्थम समिति" से अधिनियम की धारा 327 के अधीन गठित माध्यस्थम समिति अभिप्रेत है;

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में है।

3. माध्यस्थम आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया.—अधिनियम की धारा 325 के अधीन प्रतिकर का दावा करने वाला व्यक्ति बोर्ड में आवेदन निम्न रूप में कर सकता है, अर्थात्:—

(i) उसके मामले के ब्यौरे और उसके दावे का आधार;

(ii) मूल माध्यस्थम करार, यदि कोई हो, जिससे या जिसके संबंध में विवाद उठा है या दस्तावेज़ या जानकारी जो संगत है या जिसका अवलम्ब लिया जा सकता है।

4. माध्यस्थम समिति का संयोजन.—नियम 3 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड विवादास्पद मामले को निपटाने के लिए माध्यस्थम समिति की बैठक का आयोजन करेगा और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी संगत दस्तावेजों और उनकी सूचना के आधार पर एक उत्तर फाइल करेगा।

5. आवेदक को भेजा जाने वाला उत्तर.—मुख्य कार्यपालक अधिकारी माध्यस्थम समिति के समक्ष उत्तर की एक प्रति रखेगा और उत्तर की एक प्रति दस्तावेजों, यदि कोई हैं, सहित रजिस्ट्रीकृत या स्पीड पोस्ट से आवेदन प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि या माध्यस्थम समिति द्वारा लिखित में अभिलिखित विस्तारित समय के भीतर आवेदक को भेजेगा।

6. आवेदक द्वारा भेजे जाने वाले उत्तर का कथन.—आवेदक समिति द्वारा भेजे गए उत्तर की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या नियम 5 के अधीन माध्यस्थम समिति द्वारा मंजूर किए गए विस्तारित समय के भीतर एक प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकता है।

7. दस्तावेजों का पांच प्रतियों में होना.—पक्षकारों द्वारा करार करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले सभी कथन, उत्तर और अन्य दस्तावेज़ तथा कागज-पत्र और सभी अनुलग्नक दस्तावेज़ पांच प्रतियों में होंगे।

8. पक्षकारों की सुनवाई.—माध्यस्थम समिति पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात उत्तर और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर संदर्भ का विनिश्चय कर सकेगी।

9. पक्षकारों द्वारा हाजिर होना.—सुनवाई में कोई भी पक्षकार या तो स्वयं या अपने काउन्सेल या सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से हाजिर होने का हकदार होगा।

10. समिति की प्रक्रिया.—माध्यस्थम समिति के निर्देश के संबंध में इस बात के होते हुए भी कारवाई कर सकेगी कि कोई भी पक्षकार या पक्षकार माध्यस्थम समिति के किसी निर्देश का पालन करने में असफल रहा है या रहे हैं और ऐसे किसी पक्षकार या दोनों पक्षकारों की अनुपस्थिति में, जो माध्यस्थम समिति द्वारा नियत समय और स्थान पर हाजिर होने में असफल रहे हैं, निर्देश के संबंध में एकपक्षीय कार्रवाई कर सकेगी।

11. अधिनिर्णय का चार मास में किया जाना.—माध्यस्थम समिति निर्देश पर कार्यारम्भ की तारीख से चार माह के अंदर या बढ़ाए गए ऐसे समय के भीतर, जिसके लिए पक्षकार सहमत हों, अधिनिर्णय करेगी। जहां कोई अधिनिर्णय किया जाता है, वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी अधिनिर्णय की एक सही प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदक को भेजेगा।

India Code

12. खर्चों का अधिनिर्णीत किया जाना.—निर्देश के खर्चे, यदि कोई हों, जिनके अंतर्गत प्रभार फीस और अन्य व्यय भी हैं, माध्यस्थम समिति के विवेकानुसार होंगे, जो इस बाबत निर्देश दे सकेगी कि किसी के द्वारा और किसी रीति में और किस अनुपात में ऐसे प्रभार फ़ीसें और अन्य व्यय या उनके कोई भाग वहन और संदत्त किए जाएंगे।

13. माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों की प्रयोज्यता.—ऐसे नियमों की बाबत जिनके संबंध में इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध नहीं दिया गया है, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 2(3)2015/डी (क्यू एंड सी)]

मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2017

S.R.O. 15(E).—Whereas a draft of certain rules relating to the regulation of procedure of Committees of Arbitration which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 346 of the Cantonments Act, 2006, (41 of 2006) in supersession of the Cantonments (Regulation of Procedure of Committee of Arbitration) Rules, 1985 except as respects things done or omitted before such supersession, were published as required under sub-section (1) of section 346 of the said Act in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 4 vide S.R.O. 13(E), dated the 28th December, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty day from the date of publication of the said notification;

And whereas, objection received from the public in respect of the said draft rules has been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 346 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), and in supersession of the Cantonments (Regulation of Procedure of Committee of Arbitration) Rules, 1985 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules relating to the Cantonment regulation of procedure of Committees of Arbitration, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cantonments (Regulation of the Procedure of Committee of Arbitration) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);

(b) ('Committee of Arbitration') means the Committee of Arbitration constituted under section 327 of the Act;

(c) words and expressions used in these rules, but not defined and defined in the Act, shall have the same meanings assigned to them in the Act.

3. Procedure for filing arbitration application.—The person claiming compensation under section 325 of the Act may apply to the Board containing the following, namely:—

(i) details of his case and the basis of his claim;

(ii) original arbitration agreement, if any, out of or in connection with which the dispute has arisen or any document or information relevant or relied upon.

4. Convening of Committee of Arbitration.—On receipt of an application under rule 3, the Board shall convene a Committee of Arbitration to determine the matter in dispute and the Chief Executive Officer may file a reply accompanied by all relevant documents and information thereto.

5. Reply to be sent to the applicant.—The Chief Executive Officer shall place a copy of the reply before the Committee of Arbitration and also send a copy of the reply along with the documents, if any, by registered or speed post, to the applicant for his information within a period of forty five days, of the date of receipt of application or within such extended time as may be granted by the Committee of Arbitration for reasons to be recorded in writing.

6. Statement of reply to be sent by the applicant.—The applicant may, within a period of thirty days of the date of receipt of the reply or within such extended time as may be granted by the Committee of Arbitration under rule 5, submit a counter reply.

7. Documents to be in quintuplicate.—All statements, replies and other documents and papers submitted by the parties to agreement and all documents appended shall be in quintuplicate.

8. Hearing of parties.—The Committee of Arbitration may decide the reference on the reply and documents accompanying them after hearing the parties.

9. Appearance by parties.—At a hearing, a party shall be entitled to appear either himself or through his counsel or a duly authorised representative.

10. Procedure for the Committee.—The Committee of Arbitration may proceed with the reference not with standing any failure by a party or parties to comply with any of the directions of the Committee of Arbitration and may also proceed ex-parte with the reference in the absence of any or both the parties who fail to attend at the time and place appointed by the Committee of Arbitration.

11. Award to be made in four months.—The Committee of Arbitration shall make an award within a period of four months from the date of entering on the reference or within such extended time as the parties may agree and where an award has been made, the Chief Executive Officer shall furnish a true copy of the award to the applicant by registered or speed post.

12. Costs to be awarded.—The costs of the reference including charges and other expenses, if any, shall be of the discretion of the Committee of Arbitration, which may direct as to which party, and in what manner and the extent of such charges and other expenses or any part thereof shall borne and be paid.

13. Applicability of provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996.—In respect of matters not specifically provided for in the rules, the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, shall apply.

[F. No. 2(3)2015/D(Q&C)]

MANISH THAKUR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.19 22:06:16 +05'30'